# तहसील कार्यालय से जारी होने वाले प्रमाण पत्र एवं देय शुल्क

**1. अनुसूचित जाति /जनजाति/पिछड़ा वर्ग प्रमाण पत्र**

प्रार्थना पत्र तहसील कार्यालय में निम्न साक्ष्यों सहित प्रस्तुत करने पर अधिकतम एक सप्ताह के अन्दर प्रमाण पत्र दे दिया जायेगा। नियत समय सीमा में प्रमाण पत्र प्राप्त न होने की दशा में उप जिलाधिकारी को शिकायत दर्ज करायें।

अ. स्वयं का सत्यापित शपथ पत्र।
ब. राशन कार्ड की फोटो प्रति/वोटर्स लिस्ट की प्रति।
स. यदि नगरीय क्षेत्र में रहते हों तो हाऊस टैक्स की रसीद की प्रति।
द. परिवार रजिस्टर की नकल (ग्रामीण क्षेत्र हेतु)
ध. शैक्षिक प्रमाण पत्र/विद्यालय का स्थानान्तरण (टी०सी०) प्रमाण पत्र
न. प्रार्थना पत्र पर ग्राम प्रधान या क्षेत्र समिति सदस्य, नगरों में सभासद की जाति से सम्बन्धी आख्या
प. उपरोक्त सहित हल्का लेखपाल/भूलेख निरीक्षक की जाति संबंधी आख्या।

देय शुल्क : नि: शुल्क

**2. आय-प्रमाण पत्र**

आय-प्रमाण पत्र बनवाने हेतु निम्न साक्ष्यों सहित आवेदन पत्र तहसील कार्यालय में जमा करना होगा—

अ. स्वयं का सत्यापित शपथ पत्र।
ब. किसान बही की फोटो प्रति/हाऊस टैक्स की रसीद की प्रति।
स. यदि सेवा में है तो विभागीय आय प्रमाण पत्र।
द. यदि गरीबी रेखा से नीचे वर्ग का हो तो राशन कार्ड की प्रति।
ध. उपरोक्त के अलावा हल्का लेखपाल एवं भूलेख निरीक्षक की आय संबंधी आख्या।

देय शुल्क : नि: शुल्क

**3. स्थायीय निवास /अधिवास प्रमाण पत्र :** आवेदनकर्ता निम्न साक्ष्यों सहित प्रार्थना पत्र तहसील कार्यालय में प्रस्तुत करें—

अ. स्वयं का सत्यापित शपथ पत्र।
ब. सम्पत्ति के संबंध में प्रमाण पत्र जैसे किसान बही की फोटो प्रति/हाऊस टैक्स रसीद की फोटो प्रति आदि।
स. राशन कार्ड की फोटो प्रति/वोटर्स लिस्ट की प्रति।
द. परिवार रजिस्टर की नकल।
ध. उपरोक्त के साथ हल्का लेखपाल एवं भूलेख निरीक्षक की निवास संबंधी आख्या। इस प्रमाण पत्र पर उपजिलाधिकारी भी हस्ताक्षर करते हैं।

देय शुल्क : नि: शुल्क

**4. हैसियत प्रमाण पत्र :** आवेदनकर्ता को निम्न साक्ष्यों सहित प्रार्थना पत्र जिलाधिकारी/उप जिलाधिकारी से पृष्ठांकन कराने के पश्चात् तहसील कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा—

अ. स्वयं को नोटरी से सत्यापित शपथ पत्र।
ब. संपत्ति का विवरण जैसे- किसान बही की फोटो प्रति/हाऊस टैक्स की रसीद की प्रति आदि अथवा यदि अन्य कोई संपत्ति हो तो उसका विवरण।
स. राशन कार्ड की फ़ोटो प्रति।
द. उपरोक्त के अतिरिक्त लेखपाल एवं भूलेख निरीक्षक की हैसियत संबंधी आख्या। यह प्रमाण पत्र अपर जिलाधिकारी (वित्त/राजस्व) कार्यालय से जारी होता है।

देय शुल्क : नि: शुल्क

**5. वारिसान प्रमाण पत्र :** निम्न साक्ष्यों सहित प्रार्थन पत्र तहसील कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा।

अ. स्वयं का नोटरी से सत्यापित शपथ पत्र।